# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/ऑडिट/ए.जी–04/18–19/पैरा/20 दिनांकः

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, संभाग......................

विषयः– महालेखाकार के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांकः प.6(9)शिक्षा–5/2010 पार्ट–II दिनांक 23.09.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा ऑडिट समिति की बैठक दिनांक 17.09.19 का कार्यवाही विवरण में माध्यमिक शिक्षा विभाग के महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति आशानुरूप नहीं रही जिसको शासन द्वारा गम्भीरता से लिया गया है तथा संवीक्षा उपरान्त बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजपत्रित अवकाश (शनिवार एवं रविवार) के दिन नियमित कैम्प आयोजित कर वर्तमान में बकाया आक्षेपों के निस्तारण कर, प्रगति से प्रति माह प्रशासनिक विभाग को सूचित करने बाबत् निर्देश प्रदान किये गये है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय, आपके अधीन कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक एवं उनके अधीन कार्यरत राउमावि/रामावि/राबाउमावि /राबामावि के महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की ठोस एवं सक्ष्म साक्ष्यों सहित अनुपालनाएं निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में वरिष्ठ लेखाकार्मिक की जांच उपरान्त नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी सहित तैयार करवाये ताकि निकट भविष्य में निदेशालय स्तर से कैम्प का आयोजन कर निस्तारण करवाया जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/ऑडिट/ए.जी–04/18–19/पैरा/20 दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, अंकेक्षण अनुभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5), विभाग, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक.............................................को भेजकर लेख है कि आपके कार्यालय से संबंधित व आपके क्षैत्राधीन विद्यालय महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना शीघ्र इस कार्यालय को भिजवाने हेतु कार्यवाही संपादित करें।
5. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वैब साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कार्यालय को ई–मेल करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D/A.G. -4